



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36615

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 144 वर्ष 2026

कृष्ण प्रताप सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : श्वेता सिंह राणा, विवेक प्रताप सिंह

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक प्रताप सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस. शेखर को सुना गया।
2. आज प्रस्तुत अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
3. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2026 को रिट याचिका ग्रहण करते हुए निर्देश प्राप्त करने का आदेश पारित किया गया था। विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जो अभिलेख पर उपलब्ध हैं। चूँकि पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा यह कथन किया गया है कि वे कोई अतिरिक्त शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, अतः रिट याचिका का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का कथन है कि वह सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक है, जो दिनांक 31.05.2023 को सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता के अनुसार, माह नवम्बर, 2022 में उस पर आरोपपत्र प्रेषित किया गया तथा तत्पश्चात जाँच अधिकारी द्वारा जाँच सम्पन्न कर दिनांक 09.02.2023 को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.02.2023 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। वर्तमान याचिका में प्रार्थना यह है कि लंबित विभागीय कार्यवाही को अवैध घोषित कर निरस्त किया जाए तथा याचिकाकर्ता की स्थिति को पूर्ववत्

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सम्मान एवं प्रतिष्ठा सहित पुनर्स्थापित किया जाए। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2026 को रिट याचिका पर विचार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह न्यायालय दिनांक 10.10.2025 को रिट याचिका ग्रहण करते हुए निम्न आदेश पारित कर चुका है:

“यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि अभिलेख के पृष्ठ 38 से यह स्पष्ट है कि जाँच प्रतिवेदन दिनांक 09.02.2023 को प्रस्तुत किया गया, जबकि आज विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.09.2023 का एक पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि पुनः जाँच कराए जाने का निर्देश दिया गया है। लगभग दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु न्यायालय के समक्ष पुनः जाँच की प्रगति अथवा उसकी स्थिति के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रकरण को दिनांक 10.02.2026 को अपराह्न 2:00 बजे अतिरिक्त कारण सूची में सूचीबद्ध किया जाए, तब तक पूर्ण निर्देश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ।”

आज उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) को प्रेषित दिनांक 10.02.2026 का पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जाँच दिनांक 09.02.2023 को पूर्ण हो चुकी थी तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था, किन्तु दण्डादेश पारित करने से पूर्व आयोग की स्वीकृति अपेक्षित है।

प्रस्तुत निर्देश इस विषय में पूर्णतः मौन हैं कि आयोग से स्वीकृति किस तिथि को माँगी गई।

प्रकरण को दिनांक 16.02.2026 को अपराह्न 2:00 बजे अतिरिक्त कारण सूची में सूचीबद्ध किया जाए।

यदि निर्देश प्रस्तुत नहीं किए गए तो न्यायालय संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों को तलब करने हेतु बाध्य होगा।

निर्देशों की प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को प्रदान की जाए। निर्देश अभिलेख पर परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किए जाते हैं।”

5. तत्पश्चात दिनांक 16.02.2026 को इस न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 10.02.2026 को प्रकरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को परामर्श हेतु प्रेषित किया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से यह स्पष्ट प्रश्न किए जाने पर कि क्या जाँच प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है, उन्होंने निर्देश प्राप्त करने हेतु समय की प्रार्थना की।

प्रकरण को दिनांक 18.02.2026 को अपराह्न 2:00 बजे अतिरिक्त कारण सूची में सूचीबद्ध किया जाए।

आज प्रस्तुत निर्देश अभिलेख पर ग्रहण किए जाते हैं तथा उन्हें परिशिष्ट 'बी' के रूप में अंकित किया जाता है।"

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सम्पूर्ण विभागीय जाँच कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली के नियम 9 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। उनका कहना है कि जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने के उद्देश्य से शीघ्रता में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा सम्पूर्ण जाँच कार्यवाही साक्ष्यविहीन है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि दिनांक 09.02.2023 को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, तथापि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 12.03.2023 को कारण बताओ सूचना/जाँच प्रतिवेदन के विरुद्ध प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, किन्तु जाँच अभी तक अंतिम रूप से पूर्ण नहीं की गई है। यह भी तर्क किया गया कि न केवल जाँच कार्यवाही नियमों के विपरीत है, बल्कि याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से उत्पीड़ित करने हेतु अंतिम निर्णय लंबित रखा गया है।

7. राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस. शेखर ने निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि यद्यपि जाँच प्रतिवेदन दिनांक 09.02.2023 का है तथा अभिलेख दिनांक 10.02.2026 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए हैं, और यद्यपि प्रत्यर्थीगण की ओर से विलम्ब हुआ है, तथापि अब इस संबंध में अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जाएगा।

8. अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपपत्र के माध्यम से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जाँच

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सम्पन्न हुई तथा दिनांक 09.02.2023 को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जाँच प्रतिवेदन के साथ कारण बताओ सूचना याचिकाकर्ता को प्रेषित की गई, जिसका प्रत्युत्तर दिनांक 12.03.2023 को प्रस्तुत किया गया। यद्यपि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्षों को गुण-दोष के आधार पर चुनौती दी है, तथापि इस स्तर पर, जब अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है, न्यायालय के लिए आरोपों के गुण-दोष में प्रवेश करना उपयुक्त नहीं है। संभव है कि याचिकाकर्ता के पास अपने पक्ष में सुदृढ़ तर्क हों, तथापि इस स्तर पर ऐसा करना अनुशासनात्मक प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण होगा। तथापि यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थागण द्वारा कार्यवाही को अंतिम रूप देने में विलम्ब किया गया है। अतः न्यायालय की दृष्टि में यह आवश्यक है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी/राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर, कार्यवाही को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करे। याचिकाकर्ता को यह पूर्ण अधिकार होगा कि यदि अंतिम आदेश उसके प्रतिकूल पारित होता है तो वह उसे विधि के अनुसार चुनौती दे सके। सभी प्रश्न खुले रखे जाते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार देय अस्थायी पेंशन एवं अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

9. रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

दिनांक: 18 फरवरी, 2026

ऐमन

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”